"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2012—पौष 6, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-1/2012/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के कॉलम (2) में, शब्द "स्टेनो टाइपिस्ट", के पश्चात् शब्द "सहायक ग्रेड-तीन" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायें, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट, तथा (तीन) कम्प्यूटर टाइपिंग में 5,000 (की) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 13-1/2012/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-1/2012/1/एक, दिनांक 24-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव

Raipur, the 24th December 2012

NOTIFICATION

No. F-13-1/2012/1/One.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi, Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

In column (2) of Schedule-III, after the words "Steno Typist", the words "Assistant Grade-III" and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"Assistant Grade-III	18 Years	30 Years (35 Years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(i) Should have passed (10+2) examination from any recognized Board. (ii) Should have one year Diploma/Certificate in Date Entry Operator/Programming from any recognized institute, and (iii) Should have speed of 5,000 (Key) depression per hour in computer typing."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.